

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)


चेतराम बनाम घोडी देवी वगैरह

मु.नं. 06 / 2026

I - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------------------	---

यह वादपत्र वादी के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी द्वारा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27.02.2026 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

27. 02. 26

पत्रावली पेश हुई। कोल वादी उपस्थित। कोल वादी ने प्रतिवादीगण की तामिले पेश नहीं की। तामिले अतिवार्थ रूप से पेश हो। पत्रावली वाले तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 16.4.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

16.4.26

पत्रावली पेश हुई। फारारान को धार-2 आवज दिलवाई गई। उभय पक्ष मठपालिका पत्रावली तलबी में लंबित है। इससे स्पष्ट है कि वादी पत्रावली में कोई भी प्रतिकारी के लिए इच्छुड नहीं है। इसलिए पत्रावली वादी की अदम हजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कोलल शुमार होकर सादिल इफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)